

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी



पत्रांक:- 1902 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, फरवरी, 15, 2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- कर्णप्रयाग-नेनीसैण मोटर मार्ग के केदारकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण 6.45 है0 भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/Road/12845/2015)


सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 2258/12-1 दिनांक 03.01.2019.  
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा वॉच्छित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया गया है:-

S.L	EDS & R.O	Reply by User Agency
1-	The enumeration details of 140 trees found uploaded in online portal. However there are 234 trees including 85 tree in 0-10 dia	प्रस्तावित वन भूमि में कुल 234 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें 0-10 व्यास वर्ग के 85 वृक्षों को छोड़कर 140 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। टंकण की त्रुटि से नाप भूमि के कुल 9 वृक्ष भी सम्मिलित हो गये, जिसे पूर्व ही ऑनलाईन पार्ट II के यथास्थान में कुल 140 वृक्षों की सूची संशोधित किया जा चुका है।
2-	Original Dcoments desired vide condition 5 is still not received.	समस्त संशोधित प्रपत्र कॉपी के साथ वन संरक्षक, 2724/12-1 दिनांक 07.03.2018 एवं प्रस्ताव की 2 अतिरिक्त प्रतियां प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक सं0 1482/12-1 दिनांक 25.10.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षक, देहरादून को प्रेषित। संलग्न-पत्र एवं पत्र प्राप्ति रसीद की छाया प्रति।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(जी०के०रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

(1)

# ।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email-[badrinath\\_uta@yahoo.co.in](mailto:badrinath_uta@yahoo.co.in) Phone no- 01372-252175

पत्रांक 2258/12-1, गोपेश्वर, दिनांक 03/01 2019।

संवा नं.

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृक्ष, उत्तराखण्ड

विषय:- कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से केदारकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण 6.45 हे० भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रस्ताव ऑनलाईन सं०- FP/UK/Road/12845/2015.

सदर:- ई०डी०एस० दिनांक 19.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने पर कतिपय कमियां पाईं के अनुरोध में अधिसूची अर्थात् खण्ड लोक निर्माण विभाग गौडर की पत्र सं० 1852/1सी(वन) दिनांक 26.12.2018 से निम्नानुसार नियंत्रण किया गया है:-

क्र० सं०	प्रस्ताव में लगे कतिपय कमियां	कमियों का निराकरण
1.	The enumeration details of 140 trees found uploaded in online portal. However there are 234 trees including 85 tree in 0-10 dia.	प्रस्तावित वन भूमि में कुल 234 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें 0-10 व्यास वर्ग के 85 वृक्षों को छोड़कर 140 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। टंकण की त्रुटि से नाप भूमि के कुल 9 वृक्ष भी सम्मिलित हो गये, जिसे पूर्ण ही ऑनलाईन पार्ट 11 के प्रथास्थान में कुल 140 वृक्षों की सूची संशोधित किया जा चुका है।
2.	Original Documents desired vide condition 5 is still not received.	समस्त संशोधित अपत्र मूल कॉपी के साथ वन संरक्षक 2724/12-1 दिनांक फोडी दिनांक 7.3.2018 एवं प्रस्ताव की 2 अतिरिक्त प्रतियां प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक सं० 1482/12-1 दिनांक 25.10.2018 प्राप्त अपर प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी वन संरक्षण दहरादून को प्रेषित। संलग्न - पत्र एवं पत्र प्राप्ति रसीद की छाया प्रति।

अतः उक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु वधानित कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(एन०एन०पाण्डेय)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिसूची अर्थात् खण्ड लोक निर्माण विभाग गौडर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(एन०एन०पाण्डेय)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर